की सहमती के बिना विवादित भूमि का बैनामा नहीं कर सकता।

अत: प्रार्थी relief के लिए बटवारे का दावा लेकर ही remedy प्राप्त करे।

इस न्यायालय को इस case में T.I. देने की आवश्यकता नहीं लगती।

अत: प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Che
[illegible]/1/26.

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]गंजमण्डी